संख्या- 7/2018/421/सत्रह-म-2018-6-9(127)/2017

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय - चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 42-अन्य व्यय मद एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में अवशेष धनराशि में से रू0 446705/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-172/नि0शा0, दिनांक 15 मार्च,2017का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से राज्य पोषित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 42-अन्य व्यय मद एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में अवशेष धनराशि में से रू0 446705/- (रू0 चार लाख छियालीस हजार सात सौ पॉच मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 5925000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-16/2017/746/सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017 दिनांक19 जून, 2017 द्वारा लेखानुदान अवधि (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु धनराशि रू0 1557497/- एवं शासनादेश संख्या- 21 /2017/1416/सत्रह-म-2017-6-9(127)/2017 दिनांक 24 अगस्त, 2017 द्वारा धनराशि रू0 2765003/- अर्थात कुल धनराशि रू0 4322500/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है । शासनादेश दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 1557497/- की वित्तीय स्वीकृति में 42- अन्य व्यय में रू0 140416/- तथा 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0 1065833/- की धनराशि तथा शासनादेश दिनांक 24 अगस्त,2017 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 2765003/- की वित्तीय स्वीकृति में 42- अन्य व्यय में रू0 838829/- तथा 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0 1454767/- की धनराशि सम्मिलित थी।

3- अत: संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना में आय-व्ययक 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 5925000/-के सापेक्ष निर्गत धनराशि 4322500/- में से अवशेष धनराशि रू0 1602500/- के सापेक्ष 42-अन्य व्यय मद में

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

रू0 396705/- (रू0 तीन लाख छियान्नबे हजार सात सौ पॉच मात्र) एवं 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में रू0 50000 (रू0 पचास हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 446705/- (रू0 चार लाख छियालीस हजार सात सौ पॉच) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 में)

मानक मद	बजट प्राविधान (रू0 में)	शास0 दिनांक 19 जून,2017 द्वारा लेखानुदान अवधि हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति	शास0 दिनांक 24 अगस्त, 2017 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति	कुल निर्गत स्वीकृतियॉ	अवशेष धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि	अभ्युक्ति
42- अन्य व्यय	2324000	140416	838829	979245	1344755	396705	जनपद देवरिया के लिए 121605/- व जनपद- सिद्धार्थ नगर के लिए रू0 275100/- की धनराशि शैलो/डीप बोंरिग कार्य हेतु
43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	2758000	1065833	1454767	2520600	237400	50000	जनपद-देवरिया को पम्प सेट क्रय हेतु
				योग -		**446705**	

(रू0 चार लाख छियालीस हजार सात सौ पॉच मात्र)

(1) उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक -ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/ उपलब्ध कराया जाय।

(2) निर्माण कार्य के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान) आदि के निर्माण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ सपठित शासनादेश संख्या- ए-2-1606 /दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9 प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च,2018 के पूर्व ही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करते हुए समयान्तर्गत उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(12) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्धमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन-04-मत्स्य विकास कार्यक्रम-0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अतर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 7 /2018/ 421(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य), मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय - नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।